

बिहार विधान सभा के लिए ध्यानाकर्षण सूचना

<p>श्री रामनरेश प्रसाद यादव, मा० स०वि०स०, श्रीमती पूर्णिमा यादव, स०वि०स०, श्री परमानंद ऋषिदव, स०वि०स०, श्री संतोष कुमार, स०वि०स० एवं श्री अरुण शंकर प्रसाद, स०वि०स० से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना सं०-15/2012 के उत्तर के संबंध में</p>	<p>श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा, मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना</p>
<p>ध्यानाकर्षण सूचना</p>	<p>उत्तर</p>
<p>सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखण्डान्तर्गत 2009 में आई बाढ़ में हरदी नदी में डूबने से विपत्ति मंडल, पिता-स्व० सटु मंडल, ग्राम -मानिकपुर मुशहरनिया की मृत्यु दिनांक -07.08.2009 को हो गई एवं विपत्ति मंडल की लाश दूसरे दिन 7 कि०मी० आगे नदी में जाकर मिली और थाने में सूचना दी गई । उसके बाद पोस्टमार्टम दिनांक -09.08.2009 को किया गया है, परन्तु सरकार से मिलने वाली राशि का लाभ उसके आश्रित को नहीं मिल सका, जिससे उसकी पत्नी और बच्चे के सामने भुखमरी की स्थिति है । अतः स्व० विपत्ति मंडल के आश्रित को मुआवजा देने हेतु हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।</p>	<p>वर्ष 2009 के बाढ़ में डूबने से मृत विपत्ति मंडल, पिता-स्व० सटहूँ मंडल, ग्राम -मानिकपुर मुशहरनिया, थाना-परिहार, जिला-सीतामढ़ी की आश्रिता पत्नी मु० हीरा देवी को मो० 1.00 लाख रू० अनुग्रह अनुदान का भुगतान कर दिया गया है ।</p>

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक -04 / वि०स०ध्या०-89 / 2012 / / आ०प्र०, पटना-15, दिनांक -

प्रतिलिपि अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को उनके ज्ञापांक -847 दिनांक -16.05.2013 के क्रम में 04(चार) प्रतियों में / उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
ह०/-

(विपिन कुमार राय)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक -04 / वि०स०ध्या०-89 / 2012 / / आ०प्र०, पटना-15, दिनांक - 11/11/13

प्रतिलिपि सुश्री कविता कुमारी, आई०टी० मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

(विपिन कुमार राय)

विशेष कार्य पदाधिकारी